

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2026/66

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 14.01.26

अप्रार्थीगण

1 आईदानराम पुत्र रावताराम 2 खेराजराम पुत्र गंगाराम 3 घमण्डाराम पुत्र पुनमाराम 4 चीमु पत्नि गंगाराम 5 तिलाराम 6 भंवराराम 7 रतनाराम पिसरान गंगाराम 8 राणाराम पुत्र रावताराम 9 दुर्गाराम पुत्र रेखाराम 10 सारोंदेवी पत्नि रेखाराम जाति जाट निवासी नांद उप तहसील विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।

1 किरताराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति जाट निवासी नांद उप तहसील विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-923/2025

दिनांक-09/01/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जाणिया वास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 155

रकबा 15.0219 हैक्टेयर, खसरा संख्या 303/154 रकबा 8.1180 हैक्टेयर, खसरा संख्या 304/162 रकबा 13.7350 हैक्टेयर, खसरा संख्या 345/242 रकबा 8.6279 हैक्टेयर, मौजा पूर्ण नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 359/242 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, मौजा नांद पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 589 रकबा 1.3436 हैक्टेयर, खसरा संख्या 627 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 628 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 736/630 रकबा 7.4705 हैक्टेयर, खसरा संख्या 754/663 रकबा 5.0667 हैक्टेयर व मौजा लिछमणोणि बेरडो का वास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 765/663 रकबा 6.9606 हैक्टेयर, खसरा संख्या 818/706 रकबा 17.6524 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के महेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर

दिनांक- 14.01.26

क्रमांक :- रीडर/2026/67-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण आईदानराम पुत्र रावताराम वगैराह जाति जाट निवासी नांद उप तहसील विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण किरताराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति जाट निवासी नांद उप तहसील विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर